न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 121/2018 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S. no. 2018/00134)

नवल किशोर गुर्जर पुत्र श्री भीमसिंह जाति गुर्जर निवासी काचरहेडा थाना बामनवास जिला सवाईमाधोपुर । .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर। .....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 3.10.2017 अनुज्ञा —पत्र संख्या 12488/ए/डी.एम.पी/2007 निरस्त बाबत।

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 10.4.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 3.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट को 12 बोर डी.बी.बी.एल. गन नम्बर 20971/2008 शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 12488—ए—डीएमपी—2007 जिला मजिस्ट्रेट पुंछ द्वारा जारी किया गया है जिसके नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर में दिनांक 4.4.2013 में प्रस्तुत किया गया। इस संबध में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा जांच रिपोर्ट क्रमांक 3337 दिनांक 9.3.2017 प्रेषित करते हुये अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 267/12 धारा 435, 442, 502 भा0द0सं0 में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 39 दिनांक 30.4.2013 को पेश न्यायालय किया गया जो माननीय न्यायालय में मुताबिक रिकार्ड के विचाराधीन है साथ ही नवीनीकरण नहीं किये जाने की टिप्पणी भी की गई । जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2017 पारित करते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार को संबधित थाना में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्ट द्वारा पालना की जाती रही है। यह तहत अदालत द्वारा मात्र जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में अंकित मुकदमों को आधार बनाया जाकर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र अपीलान्ट को बिना सुने निरस्त कर दिया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों की स्पष्ट अवहेलना है। यदि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश कर सकता था। इसके अलावा तहत अदालत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि जिस मुकदमें 267/12 का अपीलाधीन आदेश में जिक्र किया गया है वह माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग वामनवास द्वारा दिनांक 30.6.2015 को निर्णय किया जा चुका है निर्णयानुसार अपीलान्ट को उक्त घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं होना व घटना में शामिल नहीं माना है। इस निर्णय दिनांक 30.6.2015 के अंतर्गत अपीलान्ट के विरूद्ध कोई भी आरोप बनना नहीं पाया तथा अपीलान्ट को दोषमुक्त किया गया है यह समस्त तथ्य अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत भी किये थे किन्तु तहत अदालत ने अपीलान्ट के जबाब को नजरअंदाज करते हुये तहत अदालत ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया जो कतई न्यायसंगत न होने के कारण काबिले मंसूखी है। अपीलाधीन आदेश में ऐसी कोई तथ्यात्मक विवेचना की गई है जिससे अपीलान्ट की चारित्रिक नेकचलनी पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सके बाबजूद इसके अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना अपीलान्ट की हकतलफी किये जाने की श्रेणी में आता है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट सेवानिवृत भारतीय सैनिक एवं सामाजिक व्यक्ति है जिसकी समाज में अच्छी छवि है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट को इस आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.5.2018 को तहत अदालत में सम्पर्क करने पर हुई तत्काल नकल के लिये आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने पर अपील की कार्यवाही कर जानकारी दिनांक से बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है देरी को माफ करते हुये अपील मियाद अन्दर शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2017 को अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 12488/ए/डी.एम. पी/2007 को बहाल किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रहती है। यह है कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के संबध में जब जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 3337 दिनांक 9.3.2017 से अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 267/12 धारा 435, 442, 502 भा0द0सं0 में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 39 दिनांक 30.4.2013 को पेश न्यायालय किया गया जो माननीय न्यायालय में मुताबिक रिकार्ड के विचाराधीन है साथ ही नवीनीकरण नहीं किये जाने की टिप्पणी भी की गई । रिपोर्ट में अंकित अपीलान्ट के खिलाफ दायर मुकदमों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.10.2017 न्यायिक परिपेक्ष्य में है । अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहत अदालत द्वारा दौराने अपीलाधीन आदेश जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 9.3. 2017 को आधार बनाया गया है जिसमें अपीलान्ट के खिलाफ विचाराधीन मुकदमा संख्या 267/12 का जिक्र करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण न किये जाने की टिप्पणी की गई है, जबकि पत्रावली में संलग्न माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग वामनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2015 की प्रति से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलान्ट को दोषी नहीं माना है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात है और उस मुकदमें में दोषी पाया जाना दूसरी बात है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाये तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकरण में एक मात्र प्रकरण जिसमें माननीय सक्षम अदालत द्वारा निर्णय पारित करते हुये अपीलान्ट को दोषी नहीं माना है के अलावा अन्य कोई प्रकरण अथवा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सहायक लोक अभियोजक की ओर से हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे अपीलान्ट की नेकचलनी पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सके। ऐसी स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बिना किसी ठोस आधार के निरस्त किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। फिर भी चूंकि जिला अधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी है जिन पर जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का पूर्ण दायित्व रहता है ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना ही उचित रहता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट की समुचित सुनवाई के साथ–साथ प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official